न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 32/2023

(अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3495 दिनांक 03.03.2023)

श्रीमती पार्वती पत्नी स्व. श्री श्रवणनाथ निवासी मकान नम्बर 198, 08 छोटा बाजार, ग्राम करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी लेबर कॉलोनी, 153, प्रताप नगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1. श्रीमती प्रेम देवी पुत्री स्व. श्री कल्याणनाथ पत्नी श्री कैलाश चन्द
2. श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व. श्री कल्याणनाथ पत्नी श्री पुरूषोत्तम
   –दोनों जाति जोगी निवासीगण आगरा रोड, मीना पालड़ी, पुलिस चौकी के पास, जयपुर।
3. सीता देवी पुत्री स्व. श्री कल्याणनाथ निवासी 02 चाणक्यपुरी, रेल्वे लाईन के पास, वार्ड नम्बर 22, सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :– 1.श्री एन एस राजावत, श्री प्रवीण परमार, वकील अपीलान्ट।
2. श्री दिनेश गुप्ता, वकील अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषक श्री ओमप्रकाश गुर्जर

–: आदेश :–

दिनांक :– 10.09.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि यह अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपील संख्या 10/2021 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के संदर्भ में तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3495 दिनांक 03.03.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

ग्राम करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर स्थित आराजी खाता संख्या नया 539 पुराना 475 खसरा नम्बर 814 रकबा 03–18–10 बीघा व 836 रकबा 07–18–00 बीघा के मूल खातेदार श्री कल्याणनाथ पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति जोगी की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा स्वीकृत विरासत नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 15.09.1998 के विरूद्ध न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर में अपील संख्या 10/2021 उनवान श्रीमती प्रेमदेवी व अन्य बनाम श्रीमती पार्वती व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत की गयी। आदेश दिनांक 15.11.2022 को अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत विरासत नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 15.09.

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

1998 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मृतक की विरासत के सम्बन्ध में विधिक वारिसान सम्बन्धी तथ्यों पर सम्पूर्ण जाँच कर अपीलान्टस को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार रूपनगढ़ ने नामान्तरकरण संख्या 3495 दिनांक 03.03.2023 स्वीकृत किया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3495 दिनांक 03.03.2023 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3जरिये वकील उपस्थित हुए, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहे।तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा समस्त वास्तविक तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए विधिक प्रक्रिया व न्यायिक प्रक्रिया का हनन करते हुए आदेश पारित किया गया है। उन्होने कथन किया कि न्यायालय अपर जिला कलक्टर द्वारा अपील संख्या 10/2021 उनवान श्रीमती प्रेमदेवी व अन्य बनाम श्रीमती पार्वती व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के विरूद्ध वर्तमान अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर में अपील संख्या 31/2022 दिनांक 04.01.2023 को अपील प्रस्तुत की है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 30.01.2023 को नोटिस जारी किये जो कि दिनांक 03.03.2023 से पूर्व रेस्पोडेन्टस को विधिवत रूप से तामील भी हो गये, उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने रेस्पोडेटन्स सं 1 से 3 को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर एवं अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय रूप से नामान्तरकरण संख्या 3495 दिनांक 03.03.2023 को स्वीकृत किया। उन्होने यह भी कथन किया कि नामा. संख्या 3495 दिनांक 03.03.2023 में अंकित किया गया है कि''न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 15.11.2022 की पालना में नामा. सं 739 को निरस्त कर पुनः कल्याणनाथ पुत्र श्री जगन्नाथ के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया''। जबकि श्री कल्याणनाथ की मृत्यु वर्ष 1998 में ही हो चुकी थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात ही विरासत नामा. सं 739 श्री श्रवणनाथ पुत्र श्री कल्याणनाथ के पक्ष में नामा. स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार मृतक व्यक्ति के नाम नामान्तरकरण खोला गया, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर नही दिया गया, न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 15.11.2022 की भी स्पष्ट अवहेलना है, श्रवण नाथ को लाऔलाद फौत बताया गया है जबकि उनकी विधवा पत्नी पार्वती व दो पुत्रियाँ जीवित थी। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर उन्होने तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा स्वीकृत नामा. सं 3495 दिनांक 03.03.2023 को निरस्त करने व सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट ने कथन किया है कि विचाराधीन अपील में अपीलार्थी किसी भी प्रकार से हितबद्ध एवं

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

आवश्यक पक्षकार नहीं है क्योंकि श्री श्रवणनाथ लाऔलाद फौत हो चुका है तथा उनके निधन के पश्चात अपीलान्ट श्रीमती पार्वती ने श्री रामलाल शर्मा के साथ दूसरा विवाह कर लिया है तथा भीलवाड़ा में निवास करती है। अपीलान्ट के राइटस् ऑफ टाइटल पूर्व पति से समाप्त होकर हाल पति में निहित हो चुके है, ऐसी स्थिति में विवादित आराजी में उनका कोई विधिक अधिकार नहीं बनता है। अपने कथन की पुष्टि में उन्होने राशनकार्ड, जनाधार कार्ड, पेशन फार्म की प्रति भी प्रस्तुत की। उन्होने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है ननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 32601/2018 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक 11.08.2020 के अनुसार पुश्तैनी जायदाद में पुत्रियों का भी समान हक व अधिकार है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया तथा लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि ग्राम करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर स्थित आराजी खाता संख्या नया 539 पुराना 475 खसरा नम्बर 814 रकबा 03–18–10 बीघा व 836 रकबा 07–18–00 बीघा के मूल खातेदार श्री कल्याणनाथ पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति जोगी की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा स्वीकृत विरासत नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 15.09.1998 के द्वारा श्री कल्याणनाथ के पुत्र श्री श्रवणनाथ के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। नामा. आदेश में में अंकित सजरा के अनुसार श्री कल्याण नाथ की पत्नी श्रीमती सुवा की मृत्यु दिनांक 04.04.1995 को हो जाने व अन्य कोई वारिस नहीं होने के कारण श्री श्रवण नाथ के पक्ष में विरास्त नामा0 खोला गया। वकील अपीलान्ट श्री श्रवणनाथ के लाऔलाद फौत हो जाने को असत्य बताते हुए कथन किया है कि श्री श्रवणनाथ की पत्नी श्रीमती पार्वती व उनकी दो पुत्रियाँ जीवित है परन्तु उन्होने श्री श्रवणनाथ की पुत्रियों बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है न ही उन्हें विचाराधीन अपील में पक्षकार बनाया है।

वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अपने पति श्री श्रवणनाथ की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह कर लेने के कारण उनके अधिकार समाप्त हो जाने के कारण विचाराधीन अपील में अपीलान्ट, किसी भी प्रकार से हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार नहीं है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यह अपील तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 3495 दिनांक 03.03.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, अतः श्री कल्याण नाथ अथव श्री श्रवण नाथ के उत्तराधिकारियों का निर्धारण किया जाना न तो अपील का विचारणीय विषय है न ही इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

यह भी स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 10/2021 उनवान श्रीमती प्रेमदेवी व अन्य बनाम श्रीमती पार्वती व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 को अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत विरासत नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 15.09.1998 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मृतक की विरासत के सम्बन्ध में विधिक वारिसान सम्बन्धी तथ्यों पर सम्पूर्ण जाँच कर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

अपीलान्टस को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पूर्व नामा. सं 739 दिनांक 15.09.1998 को निरस्त करते हुए पुनः श्री कल्याण नाथ के नाम आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया जबकि श्री कल्याणनाथ की मृत्यु वर्ष 1998 में ही हो चुकी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया आक्षेपीयनामान्तरकरण संख्या 3495 दिनांक 03.03.2023 विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि ग्राम करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर स्थित आराजी खाता संख्या नया 539 पुराना 475 खसरा नम्बर 814 रकबा 03–18–10 बीघा व 836 रकबा 07–18–00 बीघा (वर्तमान खाता संख्या 597 खसरा नम्बर 814 व 836 कुल रकबा 1.9092है0) के राजस्व रिकॉर्ड का भली भांति परीक्षण करते हुए मृतक श्री कल्याणनाथ व श्री श्रवण नाथ की विरासत के सम्बन्ध में विधिक वारिसान सम्बन्धी तथ्यों की सम्पूर्ण जाँच कर सभी पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रश्नगत भूमि के नामान्तरकरण बाबत नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करे।

आदेश आज दिनांक **10.09.2025** को मेरे द्वारा सरे इलियाज सुनाया गया। आदेश की एक प्रति तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर को आदेश में वर्णित निर्देशों की पालनार्थ भिजवायी जावे।

(ज्योति ककवानी)
(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर